<u>आर टी आई मामला</u>

फा. सं.13030/09/2014-के.II

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग)

कक्ष संख्या 127 ए, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली दिनांक 9 जुलाई, 2014

आदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत श्री दीपक राठी द्वारा दायर की गई प्रथम अपील।

श्री दीपक राठी ने अपने दिनांक 18.03.2014 के आर टी आई आवेदन के संदर्भ में दिनांक 07.06.2014 को एक अपील (इस मंत्रालय में 19.06.2014 को प्राप्त) दायर किया है। इस मंत्रालय के आर टी आई अनुभाग द्वारा उनके दिनांक 20.06.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2014-आर टी आई के तहत उक्त अपील इस कार्यालय सहित गृह मंत्रालय के सभी अपील प्राधिकारियों, जहां उनका दिनांक 18.03.2014 का आवेदन अग्रेसित किया गया था,को अग्रेसित किया गया था। इस कार्यालय में उनकी अपील दिनांक 24.06.2014 को प्राप्त हुई।

2. उनकी अपील की विषय-वस्तु का अवलोकन किया गया। उनके दिनांक 18.03.2014 के आर टी आई आवेदन के अंतर्गत क्रम संख्या 9 में मांगी गई सूचना के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव (के-I) उन्हें 21.04.2014 को पहले ही (जिसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने असावधानीवश क्रम संख्या 10 दर्शा दिया है) सूचना भेज चुके हैं। गृह मंत्रालय के जम्मू एवं कशमीर कार्य विभाग की भूमिका और कार्यों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in/more3). पर पहले से ही उपलब्ध है।

3. चूंकि उनके आवेदन की मद संख्या 09 के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई सूचना पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, इसलिए आर टी आई मामलों को देखने वाले गृह मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा अग्रेसित पत्र के संदर्भ में गृह मंत्रालय के जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग की विषय-वस्तु से संबंधित इस अपील का निपटान किया जाता है।

(आर.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (जम्मू एवं कश्मीर)
9/7/2014 दूरभाष 23093126

सेवा में
श्री दीपक राठी
592/20, प्रेम नगर,
पुलिस लाइन के पीछे
रोहतक-124001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ :-

(i) श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 20.06.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।

(ii) अनुभाग अधिकारी (आई टी सैल) को अपील सहित उक्त उत्तर को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

F.No.13030/9/2014-K.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
(J&K Division)

Room No. 127-A, North Block,
New Delhi, Dated: 9th July, 2014.

ORDER

Subject:- 1st Appeal under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 filed by Sh. Deepak Rathi.

Shri Deepak Rathi has filed an appeal dated 07.06.2014 (received in the Ministry on 19.06.2014) with reference to his RTI application dated 18.03.2014. The said appeal was forwarded by the RTI Section of this Ministry vide their O.M. No. A-43020/01/2014-RTI dated 20.06.2014 to all those appellate authorities of MHA including this office where his application dated 18.03.2014 was forwarded. His appeal was received by this office on 24.06.2014.

2. The contents of his appeal is perused. The CPIO & DS(K.I) had already sent information to him on 21.04.2014 in respect of information sought under Sl. No. 9 (inadvertently written as Sl. No. 10 in the reply given to the said RTI application by CPIO) of his RTI application dated 18.03.2014. The role and function of Deptt of J&K Affairs of MHA is already available on the Ministry's website (http://mha.nic.in/more3).

3. As the information desired by him in respect of item no. 9 of his application is already made available, his appeal in terms of his application as forwarded by Under Secretary of MHA dealing the subject matter of RTI stands disposed off as far as Deptt. of J&K Affairs of MHA is concerned.

(R. K. Srivastava)
Joint Secretary (J&K)
Tel. No. 23093126
9/7/2014

To,

Shri Deepak Rathi,
592/20, Prem Nagar,
Behind Police Line
Rohtak-124001.

Copy also for information to:

i) Sh. S. Samanta, Under Secretary, RTI Section, MHA, North Block, New Delhi, w.r.t. their O.M No. A.43020/01/2014-RTI dated 20.06.2014.
ii) Section Officer (IT Cell) for uploading the reply alongwith appeal on MHA's website.

RTI MATTER/TIME BOUND

No. A- 43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 20th June, 2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: 1st Appeal under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 filed by Shri Deepak Rathi.

****

This Ministry has received a 1st Appeal dated 07/06/2014 under the RTI Act, 2005 (received on 19/06/2014) filed by Shri Deepak Rathi with reference to his RTI application dated 18/03/2014.

2. Since the application dated 18/03/2014 of Shri Rathi was forwarded to the Foreigners, Internal Security-I, Kashmir and Policy Planning Divisions of this Ministry vide RTI Section's O.M. dated 09-11/04/2014 (copy enclosed), the 1st Appeal is being forwarded to the Appellate Authorities of these Divisions for taking necessary action.

Encl: As above.

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

1. Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, New Delhi.
2. Joint Secretary (IS-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
3. Joint Secretary (Kashmir), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
4. Joint Secretary (PP), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, New Delhi

Copy for information to:

Shri Deepak Rathi,
592/20, Prem Nagar
Behind Police Lines,
Rohtak – 124 001
HARYANA.

४५५/१/ ५   ३०/6/14

प्रथम अपील अधिकारी,
गृह मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :→ वांछित सूचना ना मिलने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैंने जनसूचना अधिकारी से 12 मार्च 2014 को कुछ सूचनाएँ मांगी थी। लेकिन आज तक मुझे पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई। जो भी सूचना मुझे प्रदान की गई वो आधी अधूरी जानकारी भेजी गई। मुझे पूरी जानकारी दिलवाने का कष्ट करें। मैंने 13 बिन्दुओं पर पूरी जानकारी माँगी थी लेकिन किसी भी बिन्दु पर मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। कृपया मुझे पूरी जानकारी दिलवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

निवेदक,
दीपक राठी,
592/20, प्रेमनगर,
पुलिस लाईन के पीछे,
रोहतक - 124001।
फोन 9215887388

दिनांक 7/6/14

PKS. Kindly [illegible]

JS (PP)
JS (F)
JS (IS-I)
JS (K)

सेवा में

जन सूचना अधिकारी
गृह मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :→ वांछित सूचना लेने हेतु। Rs 10/- attached (PO No. 23F 207291)

श्रीमानजी, निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपया करें।

(1) क्या कोई संगठन भारत में बिना पंजीकरण के चल सकता है, अगर हाँ तो क्या वह संविधान के अनुसार सही है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पंजीकृत है। अगर हाँ तो कहाँ से पंजीकृत है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को Z श्रेणी या इसी तरह की सुरक्षा प्रदान कर रखी है।

(3) भारत में कितने व्यक्तियों को Z श्रेणी की सुविधा प्रदान कर रखी है।

(4) कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था अगर हाँ तो किस सन् में लगा था और उसकी वजह क्या थी।

(5) जिन संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है उसका क्या नियम है। गृह मन्त्रालय विदेश से आने वाले पैसे पर नजर रखता है। विदेशों से भारत में कितने संगठनों को पैसा मिलता है उनका पूरा विवरण चाहिए।

(6) किस नियम के तहत भारतीय संगठन विदेश से पैसा ले सकते हैं उस नियम का पूरा विवरण चाहिए।

(7) विदेश से फंड प्राप्त करने के क्या नियम है। पूरा विवरण चाहिए।

(8) क्या संविधान के अनुसार सभी नागरिक समान हैं। अगर हाँ तो कुछ नागरिकों को Z श्रेणी की सुरक्षा बाकी नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। P.T.O.

(9). क्या जम्मू-कश्मीर मामले पर भी कोई मन्त्रालय है अगर हाँ तो इसके कार्य क्या हैं।

(10) देश में दूसरे देशों के साथ सन्धि किस आधार पर की जाती हैं। पूरा विवरण चाहिए

(11) सिन्धु जल सन्धि किस आधार पर की गई इसकी क्या वजह थी। पूरा विवरण चाहिए

(12) सिन्धु जल सन्धि किन-किन देशों के बीच हुई। इस सन्धि के बीच क्या फैसला हुआ पूर्ण विवरण चाहिए

(13) अब तक भारत की किन-किन देशों के साथ सन्धियाँ हुई हैं और उनमें क्या निर्णय हुए हैं। पूर्ण विवरण चाहिए

धन्यवाद

निवेदक
दीपक राठी
592/20 प्रेम नगर
पुलिस लाइन के पीछे
रोहतक-124001
फोन-9215887388

दिनांक-18/3/14

Home Ministry
New Delhi
Yes
18/3/14
23F 207291